[संविधान का इतिहास] By- R. IAS

Constitution :

क्या – The collection of rules and regulation.
(नियम और विनियम)

क्यों जरूरी होता है – किसी भी देश के law & order (कानून और व्यवस्था) को maintain करने के लिए।

law & order – देश की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए।

Dr. Dev Singh
9455918439

भारतीय संविधान का विकास :

भाग I	भाग II
• ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 1600 AD से – 1858 AD	• 1858 AD से 1935 तक
• चार्टर अधिनियम (Charter Act)	• भारत सरकार अधिनियम (शासन) (Gov. of India, Act
• यहीं से भारतीय संविधान के उद्भव की नींव पड़ी।	• विकेन्द्रीकरण
• केन्द्रीकरण	

1600 ई० का चार्टर अधिनियम :

- भारत और पूर्वी दुनिया में व्यापार करने की अनुमति के rights के लिए यह Act बनाया गया था।
- इसे महारानी एलिजाबेथ-I (ब्रिटेन) ने, EIC को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था।
- कम्पनी के प्रशासन चलाने के लिए एक Council बनाई गयी। जिसका Head – गवर्नर होगा।
- सदस्य – 24
  (1+24 = 25)

Dr. Dev Singh

सम्पूर्ण नोट्स पैकेज
व्हाट्सएप पर उपलब्ध है
9455918439

1726 AD का चार्टर अधिनियम :

- इसमें कोलकाता, मद्रास, बाम्बे (प्रेसीडेन्सी शहर) के गवर्नर को विधि (law) बनाने की शक्ति दी गयी। इसके पहले विधि इंग्लैण्ड के Board of director बनाते थे।

1773 AD का रेग्यूलेटिंग एक्ट :

- 1773 से पहले, 23 June 1757 (प्लासी का युद्ध) → अंग्रेजों की विजय
  and 22 Oct 1764 (बक्सर का युद्ध) → अंग्रेजों की बंगाल विजय → अर्थात् 1764 तक आते आते EIC बहुत powerful

- 1765 में गवर्नर क्लाइव ने भारत के मुगल बादशाह शाह आलम II से एक संधि की — 12 Aug 1765 इलाहाबाद की पहली संधि (Treaty) → अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी (right of property) प्राप्त कर ली।

- EIC के सदस्यों को भारत में अंग्रेज नवाब कहा जाने लगा। EIC के अधिक शक्तिशाली होने पर ब्रिटेन शासन ने चिंता जताई कि EIC को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, न कि राजनीति में शामिल होने की। EIC को नियंत्रित (regulate) करने के लिए ब्रिटेन ने 1773 ई० का रेग्युलेटिंग एक्ट बनाया।
  (1773 ई० → उस समय ब्रि० PM- लार्ड नाथ → गुप्त समिति)

प्रावधान (Provisions) :

- इस एक्ट के माध्यम से पहली बार EIC पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल (GG) हो गया।
  (गवर्नर → वारेन हेस्टिंग्स; गवर्नर जनरल → वारेन हेस्टिंग्स)

Dr. Dev Singh

Note : बंगाल का अंतिम गवर्नर,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल } वारेन हेस्टिंग्स

- शासन संचालन के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया (परिषद - Council) (1+4 = 5)
- निर्णय - बहुमत द्वारा , परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य था।
- परिषद को एक मत और GG को 2 मत < सामान्य मत, अध्यक्षीय मत
- कलकत्ता मे उच्चतम न्यायालय (SC) की स्थापना का प्रावधान।

1774 में SC की स्थापना पहली बार की गई।

4 सदस्य <
1. CJ. (एलिजाह इम्पे)
2. चैम्बर्स
3. लिमेस्टर
4. हाइड

SC की अपील प्रिवी काउसिंल (ब्रिटेन) में की जाती थी।

पिट्स इंडिया एक्ट , 1784 :

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट का संसोधन अधिनियम (amendmmentA)

प्रावधान :
- EIC के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग- अलग कर दिया गया।

व्यापारिक कार्य	राजनीतिक कार्य
• इसे देखने की जिम्मेदारी Board of Directors की थी।	• Board of Control (इसका I बार गठन किया गया)
• 24 सदस्य	• 6 सदस्य इनकी नियुक्ति सम्राट (ब्रिटिश क्राउन) द्वारा की जाती थी। राजस्व सम्बन्धी कार्य की भी देखभाल

Dr. Dev Singh

भारतीय उपनिवेश के 2 शासक < (निदेशक मण्डल) Board of Directors / Board of Control

or

*** द्वैध शासन (Dual Gov.)**

- सदस्यों की संख्या 1 कम कर दी गई।
  (1+3 = 4)
- परिषद का निर्णय, गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं होगा।
- कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किये गये अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई।

1786 का संसोधन अधिनियम :

- G.G को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया।
- अपना निर्णय लागू करा सकता था।
- G.G को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गयी। (केन्द्रीयकरण)

1773 —20 वर्ष बाद→ 1793 —20→ 1813 —20→ 1833 —20→ 1853 → 1858
(1784, 1786)

चार्टर एक्ट : 1813

- * EIC का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात् अन्य भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। लेकिन चाय का व्यापार चीन के साथ अब भी EIC ही करेगी।
- British King → सम्प्रभु
  अर्थात् EIC किसी भी अधिकारी की नियुक्ति बिना अनुमति के नहीं करेगी।
- ** ब्रिटिश को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गयी।
- * भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रू० का प्रावधान

चार्टर एक्ट : 1833

- * बंगाल का G.G, भारत का G.G होगा।
  बंगाल का अंतिम G.G / भारत का प्रथम G.G > विलियम बेंटिक

Dr. Dev Singh

- अब भारत के गवर्नर जनरल को असीम विधायी शक्तियाँ दी गई।
- EIC के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया
- G.G के विधायी और कार्यकारी शक्तियो को अलग-2 कर दिया गया
  (Legislative) (Executive)
- पुनः सदस्यों की संख्या 4 (1+4 = 5),

पूर्णकालिक सदस्य नहीं ← चौथा सदस्य - Law expert - लॉर्ड मैकाले, 1833

3 सदस्य - कार्यपालिका

G.G + 3 सदय - कार्यपालिका के रूप मे कार्य करते थे।

G.G + 1 सदस्य - विधायी शक्तियों के रूप मे कार्य करते थे।

- सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरु करने का प्रयास किया। बाद में Court of Directors ने समाप्त

1853 का चार्टर अधिनियम :

- EIC के Board of Directors के सदस्यो की संख्या 6 कम कर दी गयी। (24-6 = 18), 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करता था।
- *सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। इसके लिए 1854 में (भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध में) मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
- G.G की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया।
  4+8 = 12 सदस्य (विधान परिषद Legislative Council)
- Law member of Executive council has selected permanent.
  ↓ इसका स्वरुप कुछ-कुछ आज की संसद जैसा है।
- बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया गया।

Dr. Dev Singh

1858 का भारत शासन अधिनियम :

(The Act for the Better Government of India, 1858)

(भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने हेतु अधिनियम 1858)

ब्रिटिश PM- लॉर्ड डर्बी   महारानी- विक्टोरिया

इस कानून ने, EIC को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व सम्बंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दीं।

प्रावधान –

- 1784 के द्वैध शासन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया।
  (Board of Director) x
- भारत का शासन चलाने के लिए Secretary of state of India (भारत राज्य सचिव) का पद generate किया गया।
  ⇓
  ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य
  → ये ब्रिटिश संसद के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
  → इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी।

G.G का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया।

अंतिम G.G
प्रथम वायसराय } लॉर्ड कैनिंग

Dr. Dev Singh

1861 का भारत परिषद अधिनियम :

वायसराय - लार्ड कैनिंग

- मंत्रिमंडलीय व्यवस्था (विभागीय प्रणाली) की नींव डाली गयी। इसका श्रेय कैनिंग को जाता है।

6 मंत्रालय – गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त, लोक कार्य

- कार्यकारी परिषद में अधिकतम 12 और न्यूनतम 6 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था कर उसका विस्तार किया गया। जिनको वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

कार्यकारी परिषद ⟷ विधान परिषद

- शासन का विकेन्द्रीकरण शुरू हो गया। बंगाल (1862), पंजाब (1897) और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (1866) में विधान परिषदों का गठन हुआ।
- वायसराय आपत्ति जनक स्थिति में अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है।

1873 का भारत परिषद अधिनियम :

- EIC को कभी भी भंग करने का प्रावधान था।
- Jan 1884 को औपचारिक रूप से EIC को भंग कर दिया।

राज्य उपाधि अधिनियम, 1876 :

- 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी (Queen of India) घोषित किया गया।

भारत परिषद अधिनियम 1892 :

- केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या बढाई गई।
- पहली बार निर्वाचन पद्धति की बात सामने रखी गयी।
- विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर इन्हे बजट पर बहस कर करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर (जनहित) देने के लिए अधिकृत किया। लेकिन मतदान और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
- भारत में आंशिक रूप से, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।

भारत परिषद अधिनियम, 1909 :

(मॉर्ले - मिण्टो सुधार) भी कहते हैं।

मॉर्ले ↓ भारत सचिव; मिण्टो ↓ वायसराय

- अरुण्डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, इसका गठन
- केन्द्रीय / प्रान्तीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की व्यवस्था की
- अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मलित किया गया।

2 भारतीय – सैय्यद हुसैन बिलग्रामी, K. C. Gupta } इंग्लैण्ड में नियुक्त किया गया।

भारत - शासन अधियनियम, 1919 :

(मॉण्टेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार)

- प्रांतों में द्वैध शासन (Di-archy) पद्धति की शुरुआत की गई।

प्रान्तीय विषय

- (Transfered) हस्तान्तरित ↓ गवर्नर का शासन ↓ उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। Health, Education, Agriculture
- आरक्षित विषय (Reserved Sub.) ↓ गवर्नर, कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। Revenue, Police, finance, Judiciary

- केन्द्र में दो सदनीय वि

उच्च सदन (राज्य परिषद) 60 | निम्न सदन (विधान सभा) 145

Dr. Dev Singh

- साम्प्रदायिकता (पृथक निर्वाचन मण्डल) का विस्तार कर दिया गया। सिक्ख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन, महिलाओं को मताधिकार दिया गया।
- प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गई, लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया।
- पहली बार केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया।
- भारत सचिव की सहायता के लिए High commissioner की नियुक्ति की गई। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था But 1927 में साइमन कमीशन

भारत शासन अधिनियम, 1935 :

1927 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तीनो गोलमेज सम्मेलन के प्रस्ताव प्रस्तुत के आधार पर ही, 1935 का भारत शासन अधिनियम बना।

प्रावधान –

- अखिल भारतीय संघ (All India Federation) की स्थापना की, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और देशी रियासतों को एक इकाई की तरह माना जायेगा। यह संघ आधे से अधिक रियासतों की इच्छा पर आधारित था। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमे शामिल होने से इंकार कर दिया।
- प्रांतो में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता (Autonomous) का शुभारम्भ किया गया।
- केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया।
- संघ सूची के विषय को दो भागों में विभाजित किया गया

संरक्षित विषय (रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक)
इनका प्रशासन G.G. अपनी परिषद की सहायता करता था, जो कि भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था।

हस्तांतरित विषय
इनका प्रशासन मंत्रियों की सरकार द्वारा, संघीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे।

Dr. Dev Singh

- प्रांतीय स्वायत्तता (Autonomy Provinces)-

• प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण करने का अत्यान्तिक (exclusive) अधिकार प्रांतो को दे दिया गया।

• प्रांतीय गवर्नर, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा (अब वह GG के अधीन नही रहा)

- केन्द्र में द्विसदनीय (Bichumural Legislative) विधायिका
  - Lower House — संघीय विधानसभा — 375
    - 250 निर्वाचित ब्रिटिश प्रातसे
    - 125 नामांकित देशी रियासतोसे
  - Upper House — राज्य सभा — 260
    - 156 elected
    - 104 Nominated

- प्रांतीय विधायिका — 11 प्रांत
  - 6 प्रांत — द्विसदनीय विधायिका — विधानमंडल
    - Upper House — विधान परिषद
    - Lower House — विधान सभा
  - 5 प्रांत — एक सदनीय विधायिका

- शक्तियों का विभाजन
  - संघ सूची — 59 विषय
  - राज्य सूची — 54 विषय
  - समवर्ती सूची (आस्ट्रेलिया) — 36 विषय

- अवशिष्ट शक्तियों + आपातकालीन अधिकार (Residual Power) ⇓ वायसराय को दी गयी

- संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई।
(1 CJ + 7 Other maximum) नियुक्ति - ब्रिटिश क्राउन द्वारा

Dr. Dev Singh

1st CJ of Federal Court - मौरिस ग्वायर

- संघीय व प्रांतीय विधायिकाओं मे साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार
  - (साम्प्रदायिक निर्वाचन →) आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपियो और हरिजन को

- बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया
- अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज

अनुच्छेद (articles) - 321
अनुसूचियाँ (Schedule) - 10
भाग (Part) - 14

संविधान निर्माण

- Swarajya Bill मे पहली बार भारत मे संविधान सभा (1895, तिलक) का विचार आया था।
- भारतीय संविधान भारतीयो की इच्छानुसार ही होगा- गाँधी जी, (1922)
- 1924 में मोती लाल नेहरु ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की माँग रखी।
- स्वराज्य पार्टी ने भी 1934 में माँग रखी, पर INC ने अपने फैजपुर अधिवेशन (बंगाल) में 1937 मे संविधान सभा
- 1938 में जवाहर लाल नेहरु ने माँग रखी।
- 1939 - IInd world war

  8 Aug 1940 लिनलिथगो —send→ India 'अगस्त प्रस्ताव'

  ↳ भारत का संविधान बनाना भारतीयो का अपना अधिकार है।
- 1942 → क्रिप्स मिशन PM - चर्चिल

  ↓ after world war, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जायेगा।

  But not accepted INC & M.L
- 1945 → Stop II World war
- 1946 → कैबिनेट मिशन भारत आया (That time PM- क्लीमेंट एटली)

  ↳ 3 कैबिनेट मंत्री - स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार)

  लॉर्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव)

  ए० वी० एलेक्जेंडर (नेवी मंत्री)

  Head of Cabinet mission

m.Imp
- कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव - July 1946

  संविधान सभा का निर्माण - नवम्बर, 1946

Dr. Dev Singh

▸ अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा (Constitute assembly) का चुनाव हुआ । इनको जनता ने नहीं चुना ।

1 Seat / 1 million population

▸ प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, विधान मंण्डल मे अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे।

Major 3 Community – muslim, Sikkh, General
(M, S, G)

member of Constitute Assembly – Partly Elected + Partly Nominated

Note: Gandhi और जिन्ना CA. मे नही थे।

▸ Voting – Proportional Represent (आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति)
PR/STVS (Single Trans. Vote System)

▸ Composition of CA –

389
- 296 (British India)
  - 292 (Government Province)
  - 4 (Chief-Commissionry)
    1. Delhi
    2. Ajmer
    3. कुर्ग
    4. बलुचिस्तान
- 93 (Princely State)

election July 1946
- → 208 INC
- → 73 member M.L
- → 15 Independent
- → princely states

After partition – 90 members (imp)
299
- 229 Provinces
- 70 Princely States

* फ्रैंक एंथनी C.A प्रतिनिधि → एंग्लो भारतीय
* पी. एच. मोदी प्रतिनिधि → पारसी समुदाय
* (imp) B.R. अम्बेडकर प्रतिनिधि → पूर्वी बंगाल → Goes → Pak

M.R. जेकर (पुणे) Resign → B.R. Ambedkar

Dr. Dev Singh

- पहली बैठक संविधान सभा – 9 दिसम्बर 1946 (Constitution Hall)
  M.L शामिल नहीं थे।
  present member – 270
  अस्थायी अध्यक्ष – सच्चिदानन्द सिन्हा
  उपाध्यक्ष – H.C. मुखर्जी
- दूसरी बैठक – 11 दिसम्बर 1946
  स्थायी अध्यक्ष – राजेन्द्र प्रसाद
- तीसरी बैठक – 13 दिसम्बर 1946
  Imp उद्देश्य प्रस्ताव – जवाहर लाल नेहरु
  ↓ 22 जनवरी 1947
  C.A ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
  ↓
  भारत पूर्णतय: स्वतंत्र, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य होगा।
  समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी।

समिति	अध्यक्ष
1. संघ संविधान समिति	J.L. नेहरु
2. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3. मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक	" " " "
4. झण्डा समिति	डा० राजेन्द्र प्रसाद
5. रियासत समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
6. संचालन समिति, नियम समिति	डा० राजेन्द्र प्रसाद
7. संघ शक्ति समिति	J.L. नेहरु
8. कार्य संचालन समिति	K.M. मुंशी

संविधान सभा के विधिक सलाहकार – B.N. राव
↓
Imp प्रारुप पर विचार करने के लिए (Drafting Committee) CA का प्रारुप (Draft)
प्रारुप समिति – B.R. अम्बेडकर
29 Aug 1947

Dr. Dev Singh

▸ प्रारुप समिति — 1 + 6 members

1. B.R.Am. 1. N. गोपालस्वामी आयंगर
2. अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर
3. K.M. मुंशी
4. सैय्यद मु० सादुल्ला
5. बी० एल० मित्र —replace→ N. माधवराव
6. डी० पी० खेतान —Death→ T.T. कृष्णामचारी

▸ प्रथम वाचन : 4 Nov 1948 — 9 Nov 1948 (6 days)

▸ दूसरा वाचन : 15 Nov 1948 — 17 Oct 1949 (11 month 2 days)

▸ तृतीय वाचन : 14 Nov 1949 — 26 Nov 1949 (13 Days)

संविधान बनकर तैयार हुआ — 26 Nov 1949

इसी दिन, संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया।

प्रस्तावना (Preamble) :

- संविधान के उद्देश्यों को बताती है :- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराना, यह रूस की क्रान्ति से
- स्वतंत्रता (Liberty), समानता (equality), बंधुत्व (Fraternity) → फ्रांस की क्रान्ति (1789) से

प्रस्तावना के सम्बंध में कुछ कथन —

"राजनीतिक जन्मपत्री (Political Horoscope)" — K.M. मुंशी

"प्रस्तावना संविधान की कुंजी है" — अर्नेस्ट बार्कर

"प्रस्तावना संविधान की आत्मा है" — ठाकुरदास भार्गव

"Most precious part of the constitution" — ठाकुरदास भार्गव

प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में — Fundamental Rights में, F. Duties में, D.P.S.P के chapters में की गयी।

'प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढाँचे मे की गयी' की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारती केस 1973 मे किया गया, S.C ने।

Dr. Dev Singh

Salient features of the Constitution
(संविधान की प्रमुख विशेषतायें):

- Barrowed but unique.
  eg: Parliamentry system (संसदीय प्रणाली), ब्रिटेन से लिया।
  ↓ ब्रिटेन मे parliament (संसद) सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसद, supreme नही हैं।
- भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि इसमें केन्द्र और राज्य के लिए अलग-अलग provision हैं।
  केन्द्र की विधायिका को संसद (Parliament) कहते
  संसद → लोकसभा, राज्य सभा, राष्ट्रपति
  राज्य की विधायिका को में विधान सभा, विधान परिषद, राज्यपाल

आइवर जेनिंग के अनुसार — "भारतीय संविधान का बड़ा होना, विशेषता नहीं, इसका दुर्गुण है, इसलिये यह वकीलों का स्वर्ग है।"

- Structural Part — Gov. of India, 1935 से लिया गया।
- Political Part — British constitution से।
- नम्यता और कठोरता का मिश्रण
  नम्यता (flexible) ↓ ब्रिटेन से
  कठोरता (Rigid) ↓ अमेरिका से

  संविधान संशोधन अनु० 368 में — 3 प्रकार से
  - Simple Majority
  - 2/3 of Present member + 1/3 (Specific majority)
  - विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यो की विधायिका के अनुमोदन से
- संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है।
  (Federal System with Unitary Bias.)
  या भारतीय संविधान का ब्राह्य स्वरूप संघात्मक है किन्तु आत्मा एकात्मक है।

Dr. Dev Singh

◉ संघात्मक (Federal) विशेषतायें-:

Pcs2015 • शक्तियों का बटवारा, 2 स्तर पर सरकारों के बीच में
• लिखित संविधान के साथ Supremacy of Constitution
• स्वतंत्र न्यायपालिका
• द्विसदनीय व्यवस्था।

हमारा संविधान सामान्य परिस्थितियों में federal है और आपात-कालीन परिस्थितियों में Unitary है।

But सामान्य परिस्थितियों में federal के साथ unitary भी है।

eg:1. शक्तियों का बटवारा, अनुसूची 7
→ संघ (केन्द्र) सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची

eg:2. अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Power) केन्द्र के पास

◉ Non-Federal (Unitary) (गैरसंघात्मक या एकात्मक) विशेषतायें-:
• राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केन्द्र से (राष्ट्रपति) होती है।
• अखिल भारतीय सेवायें (IAS, IPS, IFS), संसद नियुक्त

इसीलिए, संविधान में Federation शब्द का नहीं Union शब्द का प्रयोग किया गया है।

कुछ विद्वानो ने संविधान को — Quasi-Federal (अर्द्ध-संघात्मक)
↳ K.C.Where ने

Imp Co-operative Federlism (सहकारी संघवाद) — ~~मॉरिस जॉन्स~~ G. Austin

"भारत राज्यों का संघ होगा" — article 1

• भारत की संघीय प्रणाली union है।
↓ कनाडा से Imp, भारत की एकता और अखण्डता (Integrity) बनाये रखने के लिए

"Federation with a centralising tendency" — ~~G. Austin~~ आइवर जेनिंग्स
(केन्द्रीयकरण की प्रकृति रखने वाला संघ)

◉ संसदीय प्रकार की सरकार:
(Parliamentary form of Government) (संसदीय शासन प्रणाली)

इसकी प्रेरणा ब्रिटेन से

संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका (executive) और विधायिका (Legislative) के आपस में सहयोग और सम्वाद के आधार पर है।

Dr. Dev Singh

और Presidential System (राष्ट्रपति प्रणाली), शक्ति के बँटवारे पर आधारित है। ↓US

संसदीय शासन प्रणाली की विशेषतायें –

1. कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ सम्बंध।

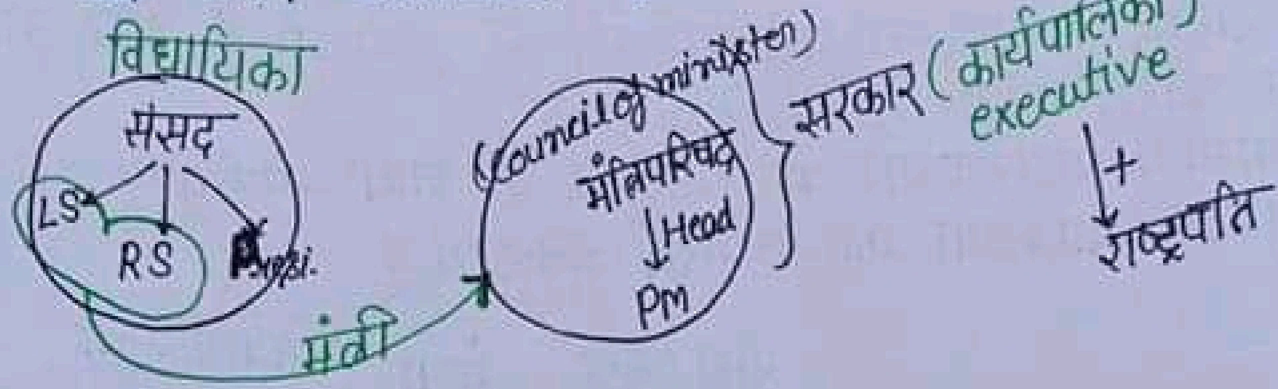

विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है।

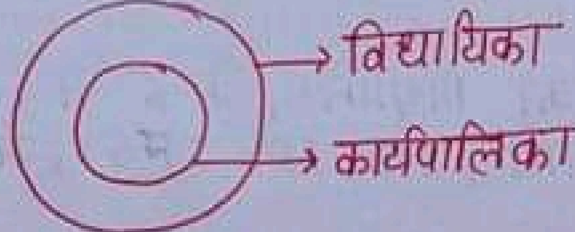

m.imp

2. मंत्रिपरिषद्, सामूहिक रूप से विधायिका (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।

सामूहिक रूप से तात्पर्य यह है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद हटेगी।

और PM से अन्य मंत्रियों को सहमत होना पड़ेगा।

3. सत्ता के शासन के 2 प्रमुख होते हैं।

2 प्रमुख <
- राष्ट्रपति (नाममात्र का प्रमुख) → संवैधानिक प्रमुख (सर्व प्रमुख)
- प्रधानमंत्री (वास्तविक प्रमुख)

4. निम्नसदन का विघटन (dissolution)।
(लोकसभा)

✱ भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के Crown के समकक्ष
↓PM → गणतंत्र; चुना
PM → राजतंत्र; → आनुवांशिक

5. Leadership of the PM

Dr. Dev Singh

ब्रिटेन से ↴ → अमेरिका से

- संसदीय सम्प्रभुता (Sovereignty) और न्यायिक सर्वोच्चता (Judicial Supermacy) का मिश्रण
- एकीकृत (Integrated) और स्वतंत्र न्यायपालिका (Judiciary)
- **Fundamental Rights (मौलिक अधिकार)** {
- Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य)
- Directic Principal of state Policy (DPSP) (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)
- A Secular State (धर्म निरपेक्ष राज्य)
  ↓ राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ (Part and schedule)

भाग - 22   अनुसूचियाँ - 12   अनुच्छेद - 395

भाग-1 : संघ और उसके क्षेत्र (Union and Its territory)
अनुच्छेद 1 से 4 तक

भाग-2 : नागरिकता (Citizenship)
अनुच्छेद 5 से 11 तक

भाग-3 : मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
अनुच्छेद 12 से 35 तक

भाग-4 : राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principal of State Policy)
अनुच्छेद 36 से 51 तक

भाग-4 (A) : मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
अनुच्छेद 51 (A)
↳ 42 वें संविधान संशोधन, 1976
(इंदिरा गांधी सरकार)

भाग - 5 संघ (Union) का वर्णन

भाग - 6 राज्य का वर्णन (State)

भाग - 7 7 वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा इसे निष्कृत कर दिया

भाग - 8 संघ राज्य क्षेत्र (Union Territory)
अनुच्छेद 239 से 242 तक

imp
भाग - 9 पंचायत (स्थानीय स्वशासन)
अनुच्छेद 243 से 243(O) तक

imp
भाग - 9 (A) नगरपालिका (Municipalties)
243(P) से 243(ZG) तक

imp
भाग - 9 (B) सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)
अनुच्छेद 243 (ZH) से 243 (ZT)

भाग - 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
(Scheduled and tribal Areas)
अनुच्छेद 244 से 244 (A)

भाग - 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य सम्बंध

भाग - 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदायें और वाद
(Finance, Property, contracts and Suits)

भाग - 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

भाग - 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवायें

imp
भाग - 14 (A) अधिकरण (Tribunals)
अनुच्छेद 323A से 323 (B)
eg: NGT का गठन - Constitutional

imp
भाग - 15 निर्वाचन (Election)

भाग - 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध (SC/ST/OBC/आंग्ल भारतीय)

भाग - 17 राजभाषा

Dr. Dev Singh

भाग-18 आपात उपबंध
(अनुच्छेद 352, अनु० 356, अनु० 360)

भाग-19 प्रकीर्ण

अनुसूचियाँ

पहले- 8 बाद में - 4 जोड़ी गयी = 12 Schedules

अनुसूची-1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन

अनुसूची-2 वेतन, भत्ता, पेंशन आदि (भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों का)

Imp **अनुसूची-3** शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप
(आस्तिक) ← (oath) (affirmation) → (नास्तिक)

Note : राष्ट्रपति, गवर्नर, उपराष्ट्रपति, ये तीनों अनुसूची 3 के अनुसार शपथ नही लेते हैं, इनका इसके लिए विशेष अनु० है।

अनुसूची-4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन

अनुसूची-5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियो के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम (*AMTM) को छोड़कर। (*ATM^2)

अनुसूची-6 *AMTM में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। (*ATM^2)

eg: असम में राज्यपाल और MTM में राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाये गये कानूनो को मानने के लिए बाध्य नही है, वह कानून को मानने से इन्कार कर सकते हैं।

अनुसूची-7 शक्तियों का बंटवारा (केन्द्र व राज्य के बीच
3 सूची —(i) संघसूची (Concrete list)
(ii) राज्य सूची (State list)
(iii) समवर्ती सूची ⟶ आस्ट्रेलिया से

(i) 100 विषय (पहले 97)
(ii) 61 (पहले 66)
(iii) 52 (47)

अनुसूची- 8 : मान्यता प्राप्त भाषाओं का उपबंध।

14 भाषायें

21 वें संविधान संशोधन के द्वारा, सिन्धी भाषा जोड़ी गयी।

*(नमक) (NMK) 71 वें संविधान संशोधन के द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली

92 वें संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली
*(BDSM)

वर्तमान में, 22 भाषायें हैं।

अनुसूची- 9 भूमि अधिग्रहण की विधियों का वर्णन

- राज्य के इस अधिकार को SC मे Chaloange नही

- 2007 में SC ने निर्णय लिया कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसे SC मे Challange किया जा सकता है।

अनुसूची- 10

52 वें संविधान संशोधन, 1985 में यह अनुसूची, दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख

अनुसूची- 11

73 वें CAA, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
(Constitutional Amendment Act)

पंचायती स्वशासन (पंचायती अधिकार, प्राधिकार, दायित्व)

अनुसूची- 12

नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व,
74 वें CAA, 1992 द्वारा
18 विषय, नगरपालिका को दिये गये।

Dr. Dev Singh

Union & its Territory
(संघ और इसके क्षेत्र)
राज्य

भाग - 1   अनुच्छेद - 1 से 4 तक

अनुच्छेद-1: इण्डिया अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा।

* संविधान में हमारे देश का नाम भारत (India) है।

भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे -

- राज्य (S) = 29
- संघशासित प्रदेश (U.T) = 8
- अर्जित किये जाने वाले क्षेत्र (Acquired area)

अनुच्छेद-2:

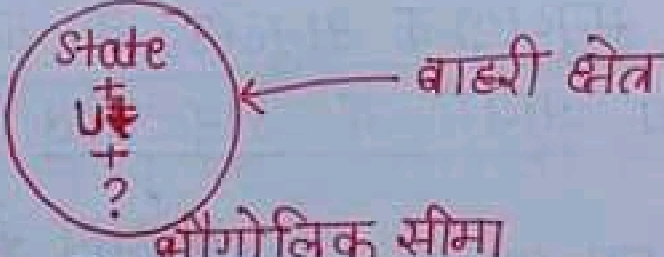

भारत की भौगोलिक सीमा में किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल करने का उपबंध।

संसद, कानून बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल करती है।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद-3 :

भौगोलिक सीमा

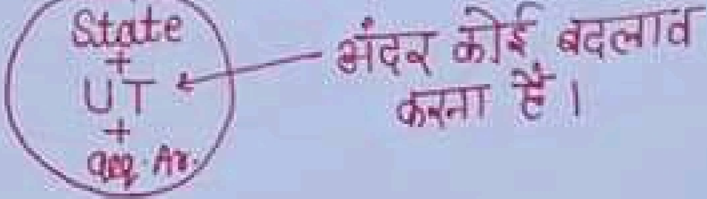

भारत की भौगोलिक सीमा के अन्दर परिवर्तन करने का उपबंध।

eg: नये राज्य का निर्माण,
नाम परिवर्तन,
सीमा मे परिवर्तन आदि।

प्रक्रिया -: संसद में Bill लाया जाता है।
Bill लाने के पहले राष्ट्रपति, उस राज्य के विधान-
(Legislature) मण्डल से पूछता है। (अवधि राष्ट्रपति, विधान-
मंडल को समय देते हैं), राय मानना बाध्य नहीं।
Bill को साधारण बहुमत से पास होता है।

अनुच्छेद-4 : अनु० (2) व अनु० (3) के तहत जो भी परिवर्तन किये जायेंगे वे अनु० 368 के अंतर्गत नहीं आयेंगे।

(अनु० 368 → संविधान संशोधन)

अर्थात् जो अनु० (2) व (3) में संशोधन किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

But,
eg: सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के लिए 36 वाँ संविधान संशोधन करना पड़ा था

सिक्किम :

अर्थात्

35 वें सं० सं० के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 2(A) बनाया गया, इसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य (Associate State) बनाया गया। यह सुधार (संसोधन) राज्य का एक नया वर्ग बनाने के लिए किया गया।

36वाँ संविधान संशोधन : अनुच्छेद 2(A) को समाप्त करने के लिए तथा सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए यह संशोधन किया गया।

सिक्किम में 32

min Lower House में
members - 60

अनु० 368 में क्या- क्या- उल्लेख है? :-

(i) संशोधन दो तरीके से हो सकता है-:।

(ii) संशोधन की शक्ति संसद (Parliament) मे निहित है।

(iii) संविधान संशोधन विधेयको को राष्ट्रपति अनिवार्य रुप से अनुमति देते हैं अर्थात् इन विधेयको को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। (24 वे संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया)

Note - (i) संशोधन बिल को किसी भी सभा (LS, RS) मे लाया जा सकता है, जिसे special Majority से पास होना चाहिए।

(ii) Joint Sitting (संयुक्त अधिवेशन) नहीं होती, संशोधन बिल पर।

eg: Consitutional Amentment Bill,
Money Bill

Note - जो विधेयक Special Maj. (विशेष बहुमत) से पास होते हैं, उनके संदर्भ मे Joint Sitting नहीं होती है।

Question: क्या संविधान संशोधन को न्यायालय मे Challenge किया जा सकता है?

संघ

(i) एकात्मक (Unitary) (ब्रिटेन)

(ii) राज्यो का संघ (Union of States) (भारत, कनाडा)

(iii) Federation (संघात्मक) (USA)

(iv) Confederation (परिसंघात्मक) (आस्ट्रेलिया)

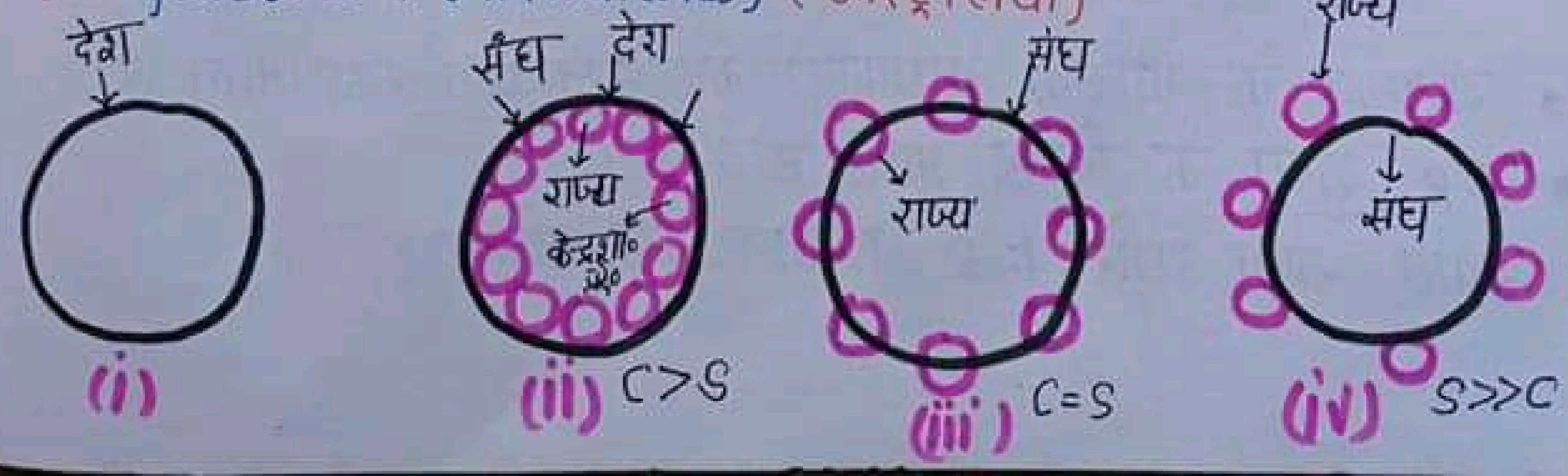

Dr. Dev Singh

भाग- 3   अनुच्छेद - अनु० 12 से 35

For mains

Fundamental Rights (मौलिक अधिकार)

— वल्लभ भाई समिति की सिफारिश पर 7 FR

Rights (अधिकार) → (i) मौलिक अधिकार, (F·R)
(ii) मानवीय अधिकार, (H·R)
(iii) राज्य के नीति निर्देशक तत्व, (DPSP)
(iv) नैसर्गिक अधिकार, (N·R) → art 14
(Natural Rights)

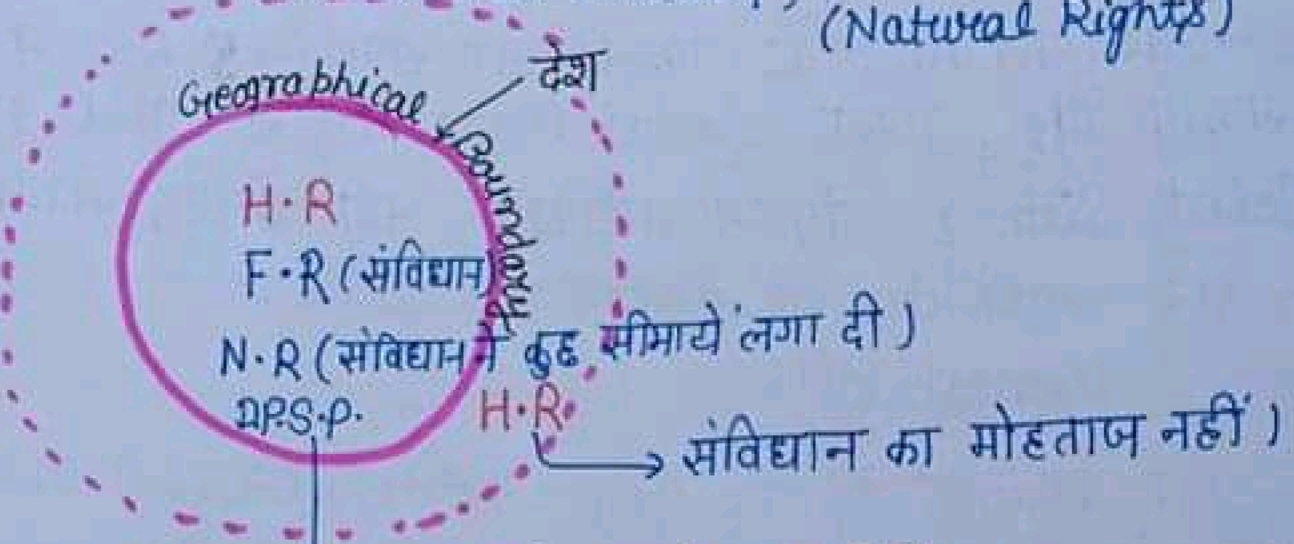

न्यायालय में वादयोग्य नही हैं।
संविधान इनकी गारंटी नहीं ली है।

★ मौलिक अधिकार :

- 1215 ई० में ब्रिटेन के शासक द्वारा वहाँ की जनता को कुछ अधिकार दिये गये, जिसे मैग्नाकार्टा कहा गया।

Que : कथन (A): भारतीय संविधान के भाग III को मैग्नाकार्टा कहते हैं।
कथन (R) : इसमें F·R का प्रावधान है।

Ans : (A) और (R) दोनो सही है, R, A की सही व्याख्या

- संविधान के मौलिक अधिकारो को मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- F·R राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं।

अर्थात् राज्य हमारे F·R को छीन नहीं सकता।

अनुच्छेद -12

State

- संघ की विधायिका & कार्यपालिका (Union legislative & Executive)
- संघ की विधायिका और कार्यपालिका
- स्थानीय प्रशासन → पंचायत, नगर पालिका
- सभी सरकारी, अर्धसरकारी संस्थान
  eg: LIC, ONGC, SAIL, RBI, Police etc.

- F.R, अमेरिका के संविधान से लिये हैं जिनको अमेरिका में Bill of Rights कहते हैं।
- कुछ ऐसे F.R हैं जो व्यक्ति की व्यक्ति से भी सुरक्षा करते हैं।

अनु० 15,	अनु० -23,
अनु० 17,	अनु० - 24

- F.R, भारत की भूमि पर सभी को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं।

imp अनु० 15, 16, 19, 29 & 30

- F.R का संरक्षक (custodian) सुप्रीम कोर्ट हैं।
- F.R पर युक्ति-युक्त निर्बंधन (reasonable restriction) लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था (Public order) और राष्ट्र हित के लिए।

अर्थात् F.R अनन्य (exclusion) नहीं हैं।

Dr. Dev Singh

Question : भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है।

Ans : (a) 3, 5, 2, 1 ✓ — 3 प्रकार का न्याय
(b) 1, 3, 5, 2 — 5 प्रकार का स्वतंत्रता
(c) 2, 5, 3, 1 — 2 प्रकार की समानता
(d) 5, 2, 1, 3 — 1 प्रकार का भ्रातृत्व

Ques : संविधान की प्रस्तावना का legal Nature (विधिक स्वरूप) क्या है?
(a) लागू किया जा सकता है।
(b) लागू नहीं किया जा सकता है।
(c) विशेष परस्थितियों में लागू किया जा सकता है।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं। ✓

• राष्ट्रीय आपातकाल के समय में, F.R. को निलम्बित किया जा सकता है, अनु० **20 & 21 को छोड़कर**

राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगी है–
(i) अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनु० 19, 20 & 21 कभी निलम्बित नहीं होगें। संसद armed force के F.R को suspend कर सकती है।

अनुच्छेद -13 संसद (Parliament) कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो F.R. का उलंघन करती हो। यदि ऐसी कोई विधि (law) बनती है तो वह शून्य होगी। जो F.R. को effect कर रहे हैं वही provision शून्य होगें।

अनुच्छेद -14 (7 F.R) —
1. समानता का अधिकार (अनु० 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23, 24)
4. धार्मिक आजादी का अधिकार (25-28)
5. शिक्षा एवं संस्कृति सम्बंधी अधिकार (29, 30)
6. सम्पत्ति सम्बंधी अधिकार (31)
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32-35)

वल्लभ भाई समिति की सिफारिश पर →

Dr. Dev Singh

1. समानता का अधिकार (अनु० 14-18):

अनुच्छेद 14:
(i) → विधि के समक्ष समानता (Equality before Law) → इंग्लैण्ड से
(ii) → विधि का समान संरक्षण (Equal Protection of the Law) → US से

(i) इंग्लैण्ड के विद्वान 'डायसी' ने Rule of Law दिया जिसमें कानून के तहत शासन चलता है। कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। ---- Negative Concept

⇓ कानून सभी के साथ समानता का व्यवहार नही कर सकता और वह यदि ऐसा करता है तो वह गलत होगा।

(ii) समान के साथ एक समान और असमान के साथ असमान व्यवहार ---- Positive Concept

⇓ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। और इस प्रकार के भेदभाव को भेदभाव नहीं माना जाएगा। ⟶ निष्कर्ष

(iii) नैसर्गिक न्याय (N.R)
(iv) कानून का शासन

अनुच्छेद 15: राज्य धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

लेकिन राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ⟶ अनु० 15(3)

अनु० 15(4): SC/ST तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों को आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

1st C.Amend. 1951 में यह जोड़ा गया

अनु० 15(5): उच्च शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST & सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण

93 वाँ CA 2006 में यह जोड़ा गया।

* सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थल (कुआँ, तालाब) सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद-16 रोजगार में अवसर की समानता
(Equality in Public Imployement)
or लोकनियोजन में अवसर की समानता

7 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा-
(5+2)
↳ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान,
उत्पत्ति के आधार पर, निवास के आधार पर

अनु० 16(3) -: राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है।
संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है।

98वाँ संविधान संसोधन मे art 371(J) जोड़ा गया जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है कि हैदराबाद क्षेत्र के निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकेगा।

अनु०- 16(4) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान

v.imp
Note: **अनु० 340** - राष्ट्रपति शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने के लिए एक आयोग गठित कर सकता है। ---- इस आयोग का प्रयोग करने के लिए 'काका कालेकर आयोग' का 1953 में गठन किया गया। 1955 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए।

मोरार जी देसाई सरकार ने 1978 मे मंडल आयोग बनाया जिसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए।
अध्यक्ष - V.P. मंडल
1979 में कार्य किया और 1980 में आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

वी० पी० सिंह सरकार ने 1990 में आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया।

Case : इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ

SC का निर्णय 16 Nov 1992 : (i) OBC को शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण संवैधानिक है।

(ii) सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक लेकिन अब ये हो गया है।

(iii) आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा।

(iv) क्रीमिलेयर को आरक्षण के बाहर रखना चाहिए।

(v) पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए।

Note : आरक्षण की सीमा 50% है लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

तमिलनाडु में आरक्षण - 69% (76वें संवि॰ संशोधन द्वारा) 1995

⇓

इस Provision को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया।
↓ जिसे SC में challenge नहीं किया

केशवानंद भारती 1973 Case :

SC ने कहा - 24 अप्रैल 1973 के पहले का कोई भी कानून यदि 9वीं अनुसूची में शामिल है और वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोई बात नहीं लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून 9th अनुसूची में डाला गया है और यदि वह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में challenge कर सकता है और Court उसकी समीक्षा करेगी और उसे रद्द भी कर सकता है।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद 17 : अपृश्यता (छुआ-छूत) का अंत
यदि कोई छुआछूत को Promote करता है तो वह दण्डनीय अपराध है।
छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 : 1976 मे इसका नाम बदलकर Civil Right Protection Act 1955 (नागरिक अधिकार संरक्षण अधि. 1955)

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)

अनु० 18 (1) – राज्य, सेना तथा विद्या सम्बंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं देगा।

अनु० 18 (2) – राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, कोई भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।

अनु० 18 (3) – ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत में कोई लाभ का पद या विश्वास का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ग्रहण कर सकता है।

अनु० 18 (4) – ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, वह किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि या कोई पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा।

Note : अनु० 18 का प्रावधान निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं अर्थात् अनु० 18 का उल्लंघन करना दण्डनीय नही है लेकिन संसद दंड का प्रावधान कर सकती है।

बालाजी राघवन V/s भारत संरकार केस (1996) :
SC का निर्णय – भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री ये सम्मान अनु० 18 (1) के अन्तर्गत नहीं आयेंगें।
इनका प्रयोग अलंकृत नाम के आगे और पीछे प्रयोग नहीं कर सकता है।

Dr. Dev Singh

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 19-22) :
(Right to freedom)

अनुच्छेद-19 : 7 प्रकार की स्वतंत्रताये मूल संविधान मे, वर्तमानें मे 6 स्वतंत्रताये।

अनु० 19 (1) – (i) वाक् एवं अभिव्यक्ति की आजादी
↳ विचारों को प्रकट करना (हड़ताल नहीं)

(ii) निरायुध सम्मेलन
(Right to people assembly without weapons)

(iii) संगठन एवं संघ बनाने की आजादी
(Right to form an association)

(iv) घूमने फिरने की आजादी
(Right to move freely across India but restriction in ST region)

(v) भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास की आजादी

(vi) सम्पत्ति अर्जित करने की आजादी × → abolish

(vii) व्यापार की आजादी

44 वें संवि० संशो० 1976 के द्वारा, सम्पत्ति अर्जित करने की आजादी को हटा दिया गया। ये केवल कानूनी अधिकार है।

अनुच्छेद 20 : अपराध की दोषसिद्धि के सम्बंध मे संरक्षण
(Protection in respect of conviction for an offence)

3 प्रकार का संरक्षण –

(i) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण – जिस दिन का अपराध उसी दिन के नियमानुसार दण्ड
(Protection from Ex-Post Facto Law)

(ii) दोहरे दण्ड से संरक्षण (Protection from Double Jeopardy)
→ छोटे दण्ड का प्रावधान पहले के अपराध पर लागू किया जा सकता है।

(iii) आत्मअभिशासन से संरक्षण
(Protection from self-incrimination) अपराध किये जाने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती उसको अपराध कबूल नहीं कर सकते हैं।

Dr. Devsingh

राजीव गांधी केस :

राजीव गांधी जी की हत्या - 21 मई 1991

हत्यारे ⟶ मुकदमा Trial Court में ⟶ मृत्युदण्ड

हत्यारे —appeal⟶ HC (मद्रास) ⟶ फांसी मिलनी चाहिए 1998

हत्यारे ⟶ SC (दिल्ली) 2004 ⟶ फांसी Continue Did.

हत्यारे —दया याचिका (mercipitation)⟶ राष्ट्रपति 2004

↓ 2011 में निर्णय

मृत्यु दण्ड —हत्यारे फिर से⟶ मद्रास HC

क्योंकि आजीवन कारावास (matter – दोहरा दण्ड)

↓ art 20 (ii)

फांसी की सजा माफ

अभियुक्त - अपराधी

Note – भारत का I केस जिसमे HC ने SC के निर्णय को FR को संरक्षण (अनु० 2) के लिए change कर दिया।

★ Lie Detector Test, Narco Test, Brain maping test किसी भी अपराधी का नहीं किया जा सकता है। — अनु० 20 (3)

↳ सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (केस) 2010

But, महिलाओं के खिलाफ कोई कार्य या देश के विरूद्ध कोई कार्य किया गया है, तो ये Test किया जा सकता है।

Note : DNA Test किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 : प्राण एवं दैहिक आजादी का संरक्षण

(Protection of life and Personal Liberty)

प्राण आजादी –

- गरिमा के साथ जीवन (दास x)
- शुद्ध पानी, हवा, आवास

परमानंद कटारा Vs BOI Case – UPPCS 2005

Sc ⟶ चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, Hospital पुलिस कार्यवाही की प्रतीक्षा न करे

- निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, राज्य से
- फोन टैप करना, एकांतता के अधिकार का उल्लंघन
- मरने का अधिकार नहीं है।

Dr. Dev Singh

• इच्छा मृत्यु भी नहीं

अरुणा शान बाग Case – Vs भारत संघ

Nurse अरुणा शान बाग Rape → छत से फेंक 40 साल कॉमा

SC का निर्णय - यदि कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित है और उसके ठीक होने के chance नहीं है तो उसे इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। ये अधिकार पहली बार अरुणा शान बाग को ही दिया गया।

• नींद का अधिकार

UPPCS-2005

• धूम्रपान निषेध [मुरली देवरा बनाम भारत संघ]

Public Place मे आप धूम्रपान के लिए मना कर सकते हैं।

• सुचिता श्रीवास्तव Vs चंडीगढ़ प्रशासन — कोई भी महिला अपने बच्चे को जन्म देगी या नहीं ये उसका स्वयं की इच्छा होगी, उसको बाध्य नहीं किया जायेगा

• शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार

• दैहिक आजादी -

मेनका गांधी Vs भारत संघ — 1978 विदेशी भ्रमण की आजादी आपका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जायेगा।

इच्छानुसार कहीं भी घूमने की आजादी।

अनुच्छेद 21 (A) 86 वाँ संविधान संशोधन 2002 के तहत यह art जोड़ा गया।

इसमें, 6-14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना।

पहले यह art-45 में था अब यह F.R है।

1 april 2010 से यह लागू हो गया।

अनुच्छेद - 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण

(Protection against arrest and detention in certain cases)

बिना अपराध और वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब 21 art का उल्लंघन होता है तब art 22 के तहत संरक्षण मिलना शुरु होगा।

गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है –

1. Punitive – अपराध के बाद दण्ड देना
सामान्य दाण्डिक विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

2. Preventive – अपराध होने से रोकना
निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

अनु० 22 (1) – चार प्रकार के संरक्षण–

(a) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
(b) गिरफ्तारी के बाद Expert से मदद लेने का अधिकार
(c) 24 घण्टे के अन्दर दण्डाधिकारी के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार (यात्रा का समय include नहीं होगा)
(d) 24 घण्टे से ज्यादा गिरफ्तार न होने का अधिकार

अनु० 22 (2) – अनु० (22)-(1) के चारों अधिकारो का संरक्षण नहीं मिलेगा –

(a) जिसे निवारक निरोध अधिनियम (Detentive laws)
(b) जो दुश्मन देश का नागरिक हो।

अनु० 22 (4 से 7 तक) – निवारक निरोध से संरक्षण
↓
केवल भारतीय संविधान (समवर्ती सूची) में आता है।
अन्य देशों में आपात कालीन स्थिति मे लागू होता है।

निवारक निरोध का उद्देश्य – समाज विरोधी देश विरोधी तत्वों को नियंत्रित करना।

★ अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखना है तो max अवधि – 3 माह
इसके आगे रखने के लिए एक समिति बनायी जाएगी, इनके आदेशोंनुसार उसको 3 माह से अधिक रखा जा सकता है या संसद ने कोई नियम बनाया हो।

संसद निवारक अधिनियम (1950) – 1 साल के लिए रख सकते हैं।
(Parliament Detection Act, 1950)

Dr. Dev Singh

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार : (अनु० 23 & 24)
(Right against exploitation)

→ work without Payment

अनुच्छेद 23 : किसी भी व्यक्ति से बेगार एवं बलात श्रम (Forced labour) नहीं कराया जा सकता है।

मानव दुर्व्यापार प्रतिबन्धित है।

अनुच्छेद 24 : बालश्रम प्रतिबन्धित (6-14 वर्ष तक के बच्चे) खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है।

Note : अनु० 24 आत्यांतिक (absolute) है अर्थात् इसका कोई अपवाद नही है। सभी मौलिक अधिकार absolute नहीं हैं।

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधि० 1986 : घरों और होटलों में बालश्रम पर अपराध

14 वर्ष से कम आयु के बालक कहीं भी कार्य करने के लिए allow नहीं हैं।

But
- पारिवारिक उद्यम
- खेल क्रियाकलाप
- मनोरंजन क्षेत्र

} allow

14 से 18 वर्ष आयु के बालक खतरनाक उद्योग (18) में काम नहीं करेंगे।

4. धार्मिक आजादी का अधिकार : अनु० (25-28)
(Right to freedom of Religion)

अनु० 25 : किसी भी धर्म के अंतःकरण, मानने, प्रचार-प्रसार, आचरण करने की आजादी।

सीमायें – लोक व्यवस्था (Public order)
सदाचार (morality)
स्वास्थ्य (Health)

अंतः करण – Conseous

गो वध – इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नही है।

हिन्दुओ को मंदिर खोलना

अनुच्छेद 26 :
- हिन्दुओ की धार्मिक संस्थाओ को उनके प्रत्येक वर्ग के लिए खोलने का उपबंध।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी

(a) प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धार्मिक संस्थाओ को स्थापित करने की आजादी।

(b) धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन (Management) की आजादी

(c) चल व अचल सम्पत्ति को अर्जित और उसका समुचित उपयोग करने की आजादी।

3 आधारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है-

(i) Public order

(ii) Morality

(iii) Health

Note : अगर कोई संस्था कानून के तहत पारित की गई है तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी नही है।

eg : अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय

अनुच्छेद 27 : धार्मिक संस्थाओ पर Tax प्रतिबन्धित

शुल्क (Fees) वसूलने पर प्रतिबंध नही हैं।

अनुच्छेद 28 : शिक्षण संस्थाओं के बारे मे स्वतंत्रता

अनु० 28 (1) : राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध

अनु० 28 (2) : यदि कोई शिक्षण संस्थान किसी Trust द्वारा बना है तो Trust के अनुसार धार्मिक शिक्षा दी जा सकती

अनु० 28 (3) : किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान से दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अभिभावक की अनुमति पर उसको बाध्य किया जा सकता

Dr. Dev Singh

5. शिक्षा एवं संस्कृति सम्बंधी अधिकार : अनु० 29, 30

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यको के हितो का संरक्षण

हित ⟶ पहचान ⟶ भाषा, लिपि

अनु० 29 (1) – नागरिकों को अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।

अनु० 29 (2) – शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के बारे में (धर्म, भाषा, मूलवंश, जाति के बिना भेदभाव के)

अनुच्छेद 30 : शैक्षिक संस्थाओं के स्थापना और उसके प्रशासन ~~पर~~ अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है।

जमीन खरीद सकता है। (जमीन खरीदना F·R नहीं है।)

मदरसे खोलने पर सरकार अनुदान दे सकती है।

6. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार – अनुच्छेद 31

अब यह मौलिक अधिकार नहीं है।

7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32-35

अनुच्छेद 32 :

(i) सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

(ii) रिट (SC का आदेश) का उल्लेख

(iii) SC रिट जारी कर सकता है।

अन्य Right को बचाने के लिए master article – 32

B. R. अम्बेडकर — "संविधान की आत्मा"

SC 5 प्रकार की रिट जारी करता है – 2019 UPPCS

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) – "To present the body"

व्यक्तिगतआदेश की स्वतंत्रता के लिए SC जारी करता है।

स्टेट और व्यक्तिगत दोनो को यह रिट जारी की जा सकती है।

अगर किसी को Illegal तरीके से कैद कर लिया जाता है तो उसकी आजादी के लिए यह रिट, SC जारी करता है।

Dev Singh

2 परमादेश (Mandamus) : "हम आदेश देते है"

जब राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो SC, परमादेश जारी करता हैं।

3. प्रतिषेध (Prohibition) : "मना करना"

यह रिट High Court अपने से Lower Court को जारी की जाती हैं। High Court —रिट→ Lower Court

Suppose, किसी Lower Court में कोई Case चल रहा है उस पर अभी discussion चल रहा है और वह केस Lower Court के क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) से बाहर है। तब यदि Supreme Court में याचिका दायर हो जाती है तो उसी समय SC, Lower Court को एक रिट जारी करता है, जिसे प्रतिषेध कहते हैं।

4. उत्प्रेषण (Certiorary) : "पूर्णतयः सूचित कीजिए"

जब कोई Lower Court किसी Case का decision कर देता है और उस Case की याचिका SC में दायर हो जाती है तब SC लोवर कोर्ट को एक रिट जारी करता है, जिसे उत्प्रेषण कहते हैं।

5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) :

जब किसी अधिकारी की जगह पर दूसरा पदाधिकारी कार्य कर रहा होता है तो SC, उस अधिकारी के बने रहने की वैधता की जाँच करने के लिए अधिकार पृच्छा रिट जारी करता है।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद 33 : Law and order को maintain करने वाले (सैन्य बल, पुलिस, इंटेलीजेंस) नागारिकों के F.R. को संसद कम कर सकती है। — assception

राज्य (art 12) किसी भी सामान्य नागरिक के F.R को न ही छीन सकता है और न ही कम कर सकता है, सिर्फ निलम्बित (Reasonable Instruction) कर सकती है।

अनुच्छेद 34 : मॉर्शल लॉ की स्थिति में यदि F.R. का नुकसान हुआ है तो संसद कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है।

अनुच्छेद 35 : F.R. के सम्बंध में कुछ बातें ऐसी है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को हो।

Eg : निवास के आधार पर (art 16-3)

भाग - 4 | अनुच्छेद - 36 से 51 तक

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Directive Principal of State Policy
(DPSP)

- DPSP की प्रेरणा संविधान ने आयरलैण्ड से ली है।
- DPSP न्यायालय में वादयोग्य नहीं है।
- DPSP, राज्य के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार होते हैं।
  - (कर्तव्य —) अपेक्षा, बाध्यता नहीं
- DPSP एक ऐसा चेक है जिसे राज्य अपनी क्षमता के अनुसार जारी करता है------ के० टी० शाह
- DPSP की प्रकृति– कल्याणकारी (welfare)
  India is a welfare state.
- DPSP से संविधान निर्माताओं के vision के बारे में पता चलता है।
- DPSP (भाग-4) को सामाजिक, आर्थिक और न्याय का प्रतीक माना जाता है।
- DPSP में अनेक प्रावधान हैं जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को दूर करते हैं।

UPSC 2019

- **DPSP का वर्गीकरण –**
  - कुछ DPSP समाजवादी प्रकृति के हैं।
  - कुछ DPSP गाँधीवादी विचार के हैं।
  - कुछ DPSP उदारवादी (Liberal - Intellectual) प्रकृति हैं।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद 36 : 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया गया है।
यहाँ राज्य का वही अर्थ है जो art 12 में है।

Trick – 12 × 3गुना = 36

अनुच्छेद 37 : DPSP Forceable नहीं है।
राज्य जब भी नीतियाँ बनाएगा तो DPSP को ध्यान में रखकर करेगा, ऐसा राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 38 : सामाजिक, आर्थिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख है।
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक न्याय प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिये गये हैं।
6 तथ्य –
(i) राज्य सभी स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करायेगा।
(ii) राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण है।
(iii) राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे कि उनका एक हाथ में संकेन्द्रण न हो।
(iv) समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
(v) राज्य स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य व आयु के खिलाफ हो और राज्य बच्चों की सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखेगा।
(vi) राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करायेगा जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उनका शोषण न हो।

अनु० 39 (A) : 42वें सं सं० 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
राज्य को समान न्याय और विधिक सहायता (निःशुल्क) की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया।

Dr. Dev Singh

v.v.Imp

अनुच्छेद - 40 : राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।

अनुच्छेद - 41 : राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता उपलब्ध करायेगा।

लोक सहायता - वृद्ध, बीमार, बेकार या बेरोजगार, विकलॉंग

अनुच्छेद - 42 : राज्य लोगों के लिए काम की मानवोचित दशाओं को उपलब्ध करायेगा।

अनुच्छेद - 43 : जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करायेगा।

Imp

अनु० - 43 (A) : 42 वें संविधान संशोधन अधि 1976 द्वारा जोड़ा गया।
राज्य उद्योगों के प्रबंधन मे कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। ⇒ कुटीर उद्योग

Imp

अनु० - 43 (B) : 97 वे सं० संशो० अधि० 2012 द्वारा जोड़ा गया।
राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा।

v.v.I

अनुच्छेद - 44 : <u>समान नागरिक संहिता</u> की स्थापना राज्य द्वारा
↳ कानून धर्म का मोहताज नहीं

* गोवा, में समान नागरिक संहिता जारी है।

शाहबानो केस - 1970 (age बानो - 68/70 साल) **Vs मु० अ० खान**

पति —तलाक→ मु० अहमद खान (वकील)

पहले का मुस्लिम नियम - इद्दत की अवधि तक भरण-पोषण भत्ता दिया। ($3\frac{1}{4}$ months)

शाहबानो —Challenge SC→ मुस्लिम नियम

SC का निर्णय - (i) मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है।

(ii) उन्हे भी जीवन पर्यन्त भत्ता मिलना चाहिए।
→ समान नागरिक संहिता

डेनियल लतीफी (वकील शाहबानो) —Challenge SC→ SC निर्णय
↓ case
डेनियल लतीफी Vs भारत संघ

Dr. Dev Singh

SC निर्णय – मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण भत्ता पुनर्विवाह तक मिलना चाहिए।

वर्ष 2017 में शाह बानो Vs भारत संघ

SC निर्णय – तीन तलाक न केवल भारतीय संविधान वरन् मुस्लिम के Basic Law के खिलाफ है।

अनुच्छेद 45 : राज्य 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा।

(ii) 6-14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा।

→ इसको हटाकर अब मौलिक अधिकार के art 21(A) में रखा गया।

अनुच्छेद 46 : ST, SC और समाज के दुर्बल वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा।

अनुच्छेद 47 : राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है।

Dr. Dev Singh

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक, विरासत का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 50 : राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है

executive (सरकार) — Judiciary (SC, HC)

अर्थात् राज्य कोशिश करे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पद एक ही व्यक्ति को न दे।

अनुच्छेद 51 : भारत की विदेश नीति का आधार है –

(i) भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

(ii) भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत

व्यवहार को बढ़ावा देगा।
(iii) भारत अंत० संधि और समझौते के पालन को बढ़ावा देगा।
(iv) अंत० विवादों का समाधान मध्यस्थता से करेगा।

भाग-4(A) अनुच्छेद - 51(A)

मौलिक अधिकार
Fundamental Duties
(FD)

42 वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा यह जोड़ा गया।

- स्वर्ण सिंह समिति – अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह
  ↓
  10 FD बाद में 1 और – अब FD 11
- FD की प्रेरणा – पूर्व सोवियत संघ से [विघटन 1951 – रूस]

11 मौलिक अधिकार –

1. भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे।
2. हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोये रखे।
3. देश के सभी नागरिक भारत की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर देश की सेवा करे।
5. देश में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के भावनाओं और सम्मान के विपरीत हो।
6. समासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे। (Composite Culture)

Dr. Dev Singh

7. देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण का संरक्षण करे तथा वन, वन्यजीवों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण करें। (DPSP- ये राज्य का भी कर्तव्य है)
Common Duty

8. वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करे, मानवतावाद, सुधार ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।

9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें।

10. सभी अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें।

11. 86वें संवि॰ संशोधन 2002 द्वारा यह जोड़ा गया।
संविधान समीक्षा आयोग 2002 – M.N. वेंकेट चेलैया - अध्यक्ष
सभी माता-पिता (अभिभावक) का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये।

F.R Vs DPSP

- दोनो एक दूसरे के पूरक हैं।

Case : चम्पकम दोराईराजन Vs मद्रास राज्य (1951)
SC निर्णय – FR, DPSP से बड़े हैं।
इससे [Parliament] व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष शुरू हो गया।
1st संवि संशोधन द्वारा अनु॰ 31(A), 31(B) जोड़े गये।
कहा गया कि कुछ ऐसे कानून होगें जो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे। इन दोनों अनुच्छेद को 9वी अनुसूची में डाल दिया गया।

25वें संवि संशोधन द्वारा 31(C) अनुच्छेद जोड़ा गया।
अनु॰ 31(C) : व्यवस्थापिका का न्यायपालिका पर हमला (Indirect)
अनु॰ 39(B) व 39(C) को अनु॰ 14 व अनु॰ 19 पर प्राथमिकता दी जा सकती है। (इंदिरा गांधी सरकार)

Dev Singh

42 वें सं० सं० 1976 द्वारा, सभी DPSP को सभी F.R. पर प्राथमिकता देने का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात् DPSP बड़ा है।

Case- मिनर्वा मिल्स Vs भारत संघ (1980)

SC निर्णय- DPSP को FR पर प्राथमिकता को रद्द घोषित कर दिया गया। अर्थात् DPSP, FR से बड़ा नहीं है अर्थात् दोनो परस्पर पूरक हैं।

"DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक (राज्य) की इच्छा पर निर्भर करता है।" ------ K॰T॰ शाह

1. विधायिका (Legislative) कानून का निर्माण (संसद) → राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति
2. कार्यपालिका (Executive) कानून का पालन कराना
3. न्यायपालिका (Judiciary) कानून के संवैधानिकता की जाँच करना

कार्यपालिका

राष्ट्रपति [President]

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें शासन के 2 प्रमुख स्तम्भ है—

1. राष्ट्रपति — संवैधानिक प्रमुख (Written Head) (Head)
2. प्रधानमंत्री — वास्तविक प्रमुख (Real Head)

- संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, पर वह इनका प्रयोग PM की सलाह पर करता है।
- भारत में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। UPPCS2019 जबकि राष्ट्रपति विधायिका का एक अंग होता है।

  विधायिका → राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति

  क्योंकि राष्ट्रपति कानून बनाने की शक्ति रखता है।
- राज्य का प्रमुख — राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

Qualifications — ▪ भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात भारत की नागरिकता ली हो (जन्म से बाध्य नहीं)

- आयु 35 वर्ष minimum
- लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। (सदस्य लोकसभा ×)
- लाभ के पद पर न हो। — ये संसद निर्धारित करता है। (राष्ट्रपति, उपरा०, गवर्नर, मंत्री आदि ये लाभ के पद नहीं हैं)

Dr Dev Singh

लाभ के पद संविधान में परिभाषित नहीं हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल -

- चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से
- संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य (LK + RS) → MP
- राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (Lower House) → MLA
- दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य → 78 CAA 1992 द्वारा जोड़ा गया

Note - राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य

But महाभियोग में (निर्वाचित और मनोनीत दोनो)

12 + 2 = 14 (12 → RS, 2 → LK)

निर्वाचन प्रक्रिया -

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR → Proportional representive) के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा —— **अनु० 55** STVS Single Transferable Vote System

माना कोई एक MP (member of parliament) है तो वह सभी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता से voting करता है। जिसे Preference voting कहते हैं।

जहाँ पर PR और STVS से चुनाव होता हैं वहाँ एक कोटा होता है।

$$\text{कोटा (Decide)} = \left[\frac{\text{वैध मतों की कुल सं०}}{\text{सीटों की सं०} + 1}\right] + 1$$

Note: वी०वी० गिरि के समय में 2 बार Counting हुई थी।

Why Indirect election of President:

Dr. Dev Singh

MLA Voting :

Vote Value of Vidhan Sabha (MLA) =

$$\frac{\text{Total Population of State}}{\text{No. of elected member of V.S}} \div 1000$$

Total Population 1951, 61, 71 की जनगणना के अनुसार, अब 1971 fix कर दिया गया ये 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद की जनगणना के परिणाम आने तक

84 वाँ संवि संशोधन 2001 के अनुसार, 2026 तक 1971 की जनगणना के आँकड़े लिये जायेंगे।

MP Voting :

Vote Value of M.P = $\frac{\text{सभी राज्यों के MLA (elected) का वोट Value}}{\text{सभी निर्वाचित MP की संख्या}}$

Note: विधान सभा के Vote Value UP = 208
तमिलनाडु / झारखण्ड = 176
सिक्किम = 7
अरुणांचल प्रदेश = 8

राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक / अनुमोदक – निर्वाचक मण्डल के सदस्य

Starting – प्रस्तावक 10 (10 व्यक्ति किसी एक के लिए सुझाव), अनुमोदक 10 (सुझाव की सहमति) (Total 20 member)

1997 : 50 50 (Total 100 member)

15000 Rs जमानत राशि RBI के पास रखना पड़ता है। अगर Valid Votes का $\frac{1}{6}$ प्राप्त नहीं होते हैं तो यह amount RBI के पास जब्त हो जाते हैं।

Dr. Dev Singh

- अगर Electoral College Incomplete है अर्थात MP कुछ अनुपस्थित हैं या MLA absent है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
- अगर L.S भंग हो जाती है तो भी चुनाव होगा।
- अगर V.S भंग हो जाती है तो भी चुनाव होगा।

→ **अनु० 71 :** निर्वाचक मण्डल के अधूरा होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा।

शपथ / प्रतिज्ञान (oath/affirmation) : अनु० 60

☆ राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 मे नही हैं।

☆ राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की भी शपथ लेते हैं।

☆ राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश (वरिष्ठ अधिवक्ता) दिलाते हैं।

राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। — परम्परा

नीलम संजीवा रेड्डी ने पहली बार 1977 मे 25 जुलाई को शपथ ली थी।

अनु० 56 : राष्ट्रपति का कार्यकाल

5 वर्ष

जब तक कि Next उत्तराधिकारी

5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति 2 रूपों मे हट सकता है।

मृत्यु (इस्तीफा) — महाभियोग

राज्य अन्तराल ← मृत्यु (इस्तीफा) → 6 months मे चुनाव

Vice president → Acting President

↓ ये भी नही तो

CJ

↓

SCJ

President —इस्तीफा→ Vice President —सूचना→ लोकसभा अध्यक्ष

Dr. Dev Singh

महाभियोग :

- लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
- संविधान की अवहेलना के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है।
- महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 1/4 सदस्यों की उसमें सहमति हो।
- फिर इस प्रस्ताव पर चर्चा फिर मतदान (निर्वाचित और मनोनीत दोनों)
- इस प्रस्ताव के चर्चा से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है।
- प्रस्ताव को कुल सदस्यों के 2/3 majority से अगर पास हो जाता है तो फिर यह प्रस्ताव राज्यसभा मे पेश किया जाता है।

महाभियोग जैसी प्रक्रिया :

CAG, CJ, SCJ

- LKS, RAJSabha, President के सामने प्रस्तुत किया जाता हैं।
- इसमें RS के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की सहमति के बाद CAG, CJ, SCJ को हटाया जाता है।
- महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया (Quasi Judicial Process)

अनु० 361 : राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

- भारत का कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति को नोटिस जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति पर Criminal या (दीवानी) Civil किसी भी प्रकार की जाँच नहीं हो सकता है पर 2 माह की पूर्व सूचना देकर दीवानी पूछताछ की जा सकती है।

Dr. Dev Singh